



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042026-271480
CG-DL-E-01042026-271480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1572]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1572]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

का.आ. 1637(अ).—जबकि मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 34, संत तुकाराम रोड, कार्नाक बंदर, मुंबई-400009, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में प्रस्तावित पवन ऊर्जा परियोजना के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 302.8 मेगावाट बिजली की कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 25-17/90/2024-PG दिनांक 17.09.2024 के द्वारा मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को ट्रांसमिशन योजना “महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में प्रस्तावित पवन ऊर्जा परियोजना के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 302.8 मेगावाट बिजली की कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 12.08.2025, लोकमत समाचार (हिन्दी में) दिनांक 12.08.2025 और पुण्य नगरी (मराठी

में) दिनांक 12.08.2025, तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 20.09.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ने दिनांक 20.01.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को कोई अवलोकन/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:-

- टीपीआरईएल पीएस (गांव वाशी, तालुका वाशी, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में स्थित) से टीएसपीपीएल कॉमन पीएस (गांव नांदूरघाट, तालुका कैज, जिला बीड, महाराष्ट्र में स्थित) तक 400 केवी एस/सी टावरों पर एस/सी लाइन (लाइन की कुल लंबाई लगभग 18.301 किमी)।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें महाराष्ट्र राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र.सं.	गांव	तहसील	जिला	राज्य
1-	गोलेगांव, वाशी, सरोला वाशी मालदारपुरी कवडेवाडी, तांदुलवाडी, पिंपलवाडी, लाखनगांव, पारा, डोंगरेवाडी फाकराबाद	वाशी	धाराशिव	महाराष्ट्र
2-	नांदूरघाट	कैज	बीड	महाराष्ट्र

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है:

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अद्ययधीन है।

- vi. मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/19/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 27th March, 2026

S.O. 1637(E).— Whereas M/s Tata Power Renewable Energy Limited, the applicant with its registered office at 34, Sant Tukaram Road, Carnac Bunder, Mumbai 400009, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing connectivity of 302.8MW to M/s TATA Power Renewable Energy Limited for its proposed Wind Power Project in Dharashiv District, Maharashtra”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/90/2024-PG dated 17.09.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing connectivity of 302.8MW to M/s TATA Power Renewable Energy Limited for its proposed Wind Power Project in Dharashiv District, Maharashtra.”

M/s Tata Power Renewable Energy Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Indian Express (in English) dated 12.08.2025, Lokmat Samachar (in Hindi) dated 12.08.2025 and Punya Nagari (in Marathi) 12.08.2025, and in Weekly Gazette of India dated 20.09.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Tata Power Renewable Energy Limited has submitted an affidavit dated 20.01.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the Newspaper/official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s Tata Power Renewable Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- TPREL PS (located at Village Washi, Taluka Washi, District Dharashiv, Maharashtra) – TSPPL Common PS (located at Village Nandurghat, Taluka Kej, District Beed, Maharashtra) 400 kV S/c line on S/c towers (total line length of 18.301 km approx.).

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Maharashtra:

Villages	Tehsil	District	State
Golegaon, Washi, Sarola Washi, Maldarpuri, Kavdewadi, Tandulwadi, Pimpalwadi, Lakhangaon, Para, Dongrewadi, Fakrabad	Washi	Dharashiv	Maharashtra
Nandurghat	Kej	Beed	Maharashtra

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Tata Power Renewable Energy Limited for above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Tata Power Renewable Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/19/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)